मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/आवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

संख्या-डीजी-परिपत्र संख्या-10 /2015 दिनांकः लखनऊःफरवरी 16 ,2015

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

विषयः 07 वर्ष तक कारावास से दण्डनीय आपराधिक अभियोगों के प्रकरणों में आरोप पत्र प्रेषित करने से पूर्व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ।

.....

कृपया उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-253/छ-पु-9-15-31(6)/2015 दिनॉक 6-2-2015 एवं यूओ0-314/छ-पु-3-12-रिट(138)बी/12-गृह(पुलिस)अनुभाग-4 दिनॉक 4-1-2013 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा विषयगत मामले में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त शासनादेश के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि मा0 न्यायालयों में ऐसे कई प्रकरण विचाराधीन होंगे जिनमें अभियुक्त को गिरफ्तार किये बिना ही आरोप पत्र दाखिल किया गया होगा किन्तु इस प्रक्रिया को सामान्य व्यवस्था के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है । अभियुक्त की गिरफ्तारी व आरोप पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में क्रमशः अध्याय-5 व अध्याय-12 विशेषकर धारा-161 से 173 के अन्तर्गत प्राविधान दिये गये हैं । इन प्राविधानों का आरोप-पत्र दाखिल करते समय पूर्णरूपेण पालन किया जाना चाहिए ।

3- इन प्राविधानों को सामान्यतः लागू करने के उद्देश्य से विवेचनाधिकारी/थाने के प्रभारी अधिकारी के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को विनियमित करते हुए उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-122(प) में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गयी है कि जितने शीघ्र सम्भव हो सके, अन्वेषण पूर्ण कर लिया जाय और जब पूर्ण हो जायें तो अन्वेषक अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161-171 तथा 173 का पालन करना चाहिये । इसी प्रस्तर में यह प्राविधानित है कि धारा 173 के अन्तर्गत प्रेषित की जाने वाली आख्या चार्जशीट के प्रारूप(पुलिस प्रारूप क्र0-339) में और (पुलिस प्रारूप क0-340) में अंतिम रिपोर्ट के प्रारूप में भेजी जायेगी ।

4- पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-122 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत करने हेतु जो चार्जशीट-पुलिस प्रपत्र संख्या-339 विहित किया गया है, उसके कालम संख्या-3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गिरफ्तार, जमानत या मुचलके पर अथवा मफरूरी की स्थिति में आरोप पत्र का प्रेषण किया जा सकता है ।

5- दण्ड प्रक्रिया संहिता(संशोधन) अधिनियम-2008 के द्वारा धारा 41 के अनुसार पुलिस द्वारा अनुचित प्रकार से अभियुक्तों की गिरफ्तारी को रोकने हेतु धारा-41 की उपधारा 1(ए) एवं (बी) को

प्रतिस्थापित करते हुए ऐसे अपराध में जिसमें सजा 07 वर्ष या उससे कम हो, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तभी की जायेगी, जहॉः-

(1)आरोपी द्वारा कोई अन्य अपराध किये जाने की सम्भावना हो,
(2)उपयुक्त विवेचना किये जाने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक हो,
(3)आरोपी द्वारा साक्ष्य को नष्ट किये जाने से रोके जाने के लिए हो,
(4)आरोपी द्वारा धमकी अथवा प्रलोभन, अपराध के तथ्यों की जानकारी रोकने वाले व्यक्तियों को दिये जाने से रोकने के लिए,
(5)आरोपी गिरफ्तार न किये जाने पर न्यायालय में निर्दिष्ट तिथियों को विचारण के लिए उपस्थित नहीं होगा ।

6- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस(पी0आई0एल0) रिट याचिका संख्या-17410/2011 शौकीन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में धारा 41 में हुए संशोधन के सम्बन्ध में दिनॉक 11-10-2011 को आदेश पारित करते हुए इस धारा के प्रयोग हेतु दृष्टांत देते हुए कहा है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में भेजने हेतु पर्याप्त आधार हो । मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 41(1)(बी) एवं धारा 41 ए में 07 वर्ष एवं उससे कम सजा वाले अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी ही नहीं की जायेगी, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं हैः-

"We see that no total embargo has been placed on effecting arrests even in cases punishable upto 7 years imprisonment."

7- दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम-2008 के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी अभियुक्त को बिना पर्याप्त साक्ष्य के गिरफ्तार न किया जाय परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उपर्युक्त संशोधन के आलोक में अभियुक्तों की गिरफ्तारी ही पुलिस द्वारा नहीं की जायेगी । अतः धारा 41(1)(बी) एवं धारा 41 ए मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था का पालन करते हुए 07 साल तक की सजा वाले अपराधों में भी यथा परिस्थिति गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है ।

8- अतः शासनादेश संख्या-253/छ-पु-9-15-31(6)/2015 दिनॉक 6-2-2015 एवं यू0ओ0-314/छ-पु-3-12-रिट(138)बी/12-गृह(पुलिस)अनुभाग-4 दिनॉक 4-1-2013 की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि सभी आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल करते समय सामान्यतः बिना भेदभाव किये विवेचनाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता में विहित अन्य सुसंगत व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 170, धारा 41(ए),1(बी) व पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर-122 में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं अभियान चलाकर लम्बित मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के अलावा इस मुख्यालय को भी प्रगति से हर 15 दिवस में निर्धारित संलग्न प्रारूप के अनुसार अवगत कराया जाय ।

संलग्नक-यथोपरि ।

10.2.15

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- अपर पुलिस महानिदेशक, एस0आई0टी0, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अपर पुलिस महानिदेशक, को-आपरेटिव सेल लखनऊ ।
7- अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), उ0प्र0 लखनऊ को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अनुश्रवण सुनिश्चित करते हुए वॉछित सूचना संकलित कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक-यथोपरि ।

गिरफ्तारी न होने के कारण लम्बित आरोप पत्रों का विवरण

क0सं0	थाना	दिनॉक 1-2-2015 तक लम्बित ऐसे आरोप पत्र जिनमें सजा 7 वर्ष से कम है।	लम्बित आरोप पत्रों के सम्बन्ध में 15 दिवस में की गयी कार्यवाही		आरोप पत्र न्यायालय न भेजे जाने का कारण।
			कितने आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किये गये।	शेष आरोप पत्र	
1	2	3	4	5	6

शीर्ष प्राथमिकता/समयब

978 संख्या–253/छः–पु0–9–15–31(6)/20

प्रेषक,

देवाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 06 फरवरी जनवरी,2015

विषयः–07 वर्ष तक कारावास से दण्डनीय आपराधिक अभियोगों के प्रकरणों में आरोप–पत्र प्रेषित करने से पूर्व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (पुलिस) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–यू0ओ0–314/छः–पु0–3–12– रिट(138)बी/2012 गृह (पुलिस) अनुभाग–4 दिनांक 03.01.2013 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–6 एवं 7 में निम्नवत् व्यवस्था उल्लिखित की गयी हैः–

"6– दण्ड प्रकिया संहिता (संशोधन) अधिनियम–2008 के द्वारा धारा–41 के अनुसार पुलिस द्वारा अनुचित प्रकार से अभियुक्तों की गिरफ्तारी को रोकने हेतु धारा–41 की उपधारा 1(ए) एवं (बी) को प्रतिस्थापित करते हुए ऐसे अपराध में जिसमें सजा 07 वर्ष या उससे कम हो, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तभी की जायेगी, जहॉ–

(1) आरोपी द्वारा कोई अन्य अपराध किए जाने की संभावना हो,
(2) उपयुक्त विवेचना किए जाने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक हो,
(3) आरोपी द्वारा साक्ष्य को नष्ट किए जाने से रोके जाने के लिए हो,
(4) आरोपी द्वारा धमकी अथवा प्रलोभन , अपराध के तथ्यों की जानकारी रोकने वाले व्यक्तियों को दिये जाने से रोकने के लिए,
(5) आरोपी गिरफ्तार न किए जाने पर न्यायालय में निर्दिष्ट तिथियों को विचारण के लिए उपस्थित नहीं होगा।

\ मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस (पी0आई0एल0) रिट याचिका संख्या–17410/2011 शौकीन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में धारा–41 में हुए संशोधन के संबंध में दिनांक 11.10.2011 को आदेश पारित करते हुए इस धारा के प्रयोग हेतु दृष्टांत देते हुए यह कहा है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों को तभी गिरफ्तार किया जाय जब उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य हो तथा अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में भेजने हेतु पर्याप्त आधार हो। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा–41(1)(बी) एवं धारा–41ए में 07 वर्ष एवं उससे कम सजा वाले अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी ही नहीं की जायेगी, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं हैः–

"We see that no total embargo has been placed on effecting arrests even in cases punishable upto 7 years imprisonment."

दण्ड प्रकिया संहिता (संशोधन) अधिनियम–2008 के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि किसी भी अभियुक्त को बिना पर्याप्त साक्ष्य के गिरफ्तार न किया जाय परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उपर्युक्त संशोधन के आलोक में अभियुक्तों की गिरफतारी ही पुलिस द्वारा नहीं की जायेगी। अतः धारा–41(1)(बी) एवं धारा–41ए में मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था का पालन करते हुए 07 साल तक के सजा वाले अपराधों में भी यथा परिस्थिति गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।

2/–

7– सभी आपराधिक मामलों में आरोप–पत्र दाखिल करते समय सामान्यतः बिन भेदभाव किये विवेचनाधिकारी द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता में विहित अन्य सुसंगत व्यवस्थाओं क दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–170, धारा–41–1(ए), 1(बी) व पुलिस रेगुलेशन के पैरा 122 में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।''

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रिमिनल अपील संख्या-62/2013–अनिल कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.05.2013 के अनुपालन में पुलिस महानिरीक्षक (अपराध),उ0प्र0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या– डीजी–10वि0प्र– रिट–19/2013, दिनांक 13 जनवरी, 2015 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश में 45000 से अधिक मामलों में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र नहीं दाखिल किया गया है, जो उचित नहीं है। कृपया ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर अभियान चलाकर लम्बित मामलों में आरोप–पत्र दाखिल कराने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने एवं कृत कार्यवाही से शासन के गृह (पुलिस) अनुभाग–3 एवं 9 को अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(देवाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार–

प्रतिलिपि गृह (पुलिस) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–यू0ओ0– 314/छः–पु0–3–12– रिट(138)बी/2012 गृह (पुलिस) अनुभाग–4 दिनांक 03.01.2013 को संलग्न करते हुए निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) महानिदेशक, सीबीसीआईडी, लखनऊ।
(3) अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध/कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
(4) अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध संगठन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज/एसआईटी/कोआपरेटिव सेल/भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया प्रश्नगत शासनादेश संलग्नकों सहित गृह विभाग की वेब साइट पर डालने का कष्ट करें।
(10) गृह (पुलिस) अनुभाग–3/4/11/12/14
(11) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(अमर सेन सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–यू0ओ0–314 / छ–पु–3–12–रिट (138)बी /

12–गृह(पुलिस) अनुभाग–4

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 07 जनवरी,2013

विषयः–आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने से पूर्व अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा क्रिमि0मिस0 रिट संख्या–3321 / 2012 इकबाल बनाम राज्य व अन्य की सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि आपराधिक प्रकरण में विवेचक द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किये बिना आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

2– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शासन को निर्देशित किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के बिना आरोप पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में नीति स्पष्ट करते हुये शासनादेश निर्गत किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि इस प्रकार के कई ऐसे मामले मा0 न्यायालयों में विचाराधीन होंगे जिनमें अभियुक्त को गिरफ्तार किये बिना ही आरोप पत्र दाखिल किया गया होगा किन्तु इस प्रकिया को सामान्य व्यवस्था के रूप में नहीं अपनाया जा सकता है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व आरोप पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में दण्ड प्रकिया संहिता,1973 में कमशः अध्याय–5 व अध्याय–12 विशेषकर धारा–161 से 173 के अन्तर्गत प्राविधान दिये गये हैं। इन प्राविधानों का आरोप–पत्र दाखिल करते समय पूर्णरूपेण पालन किया जाना चाहिये।

4– उक्त प्राविधानों को सामान्यतः लागू करने के उद्देश्य से विवेचनाधिकारी / थाने के प्रभारी अधिकारी के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों को विनियमित करते हुये उ0प्र0 पुलिस रेग्युलेशनस के पैरा–122 (i) में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि जितने शीघ्र संभव हो सके, अन्वेषण पूर्ण कर लिया जावे और जब पूर्ण हो जावे तो अन्वेषक अधिकारी को दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 161–171 तथा 173 का पालन करना चाहिये । इसी पैरा में यह प्राविधानित है कि धारा 173 के अन्तर्गत प्रेषित

की जाने वाली आख्या चार्जशीट के प्रारूप (पुलिस प्रारूप क0–339) में और (पुलिस प्रारूप क0–340) में अंतिम रिर्पोट के प्रारूप में भेजी जायेगी।

5– पुलिस रेग्युलेशन के पैरा–122 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत करने हेतु जो चार्जशीट–पुलिस प्रपत्र संख्या–339 विहित किया गया है, उसके कालम संख्या–3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गिरफ्तार, जमानत या मुचलके पर अथवा मफरूरी की स्थिति में आरोप–पत्र का प्रेषण किया जा सकता है।

6– दण्ड प्रकिया संहिता (संशोधन) अधिनियम–2008 के द्वारा धारा 41 के अनुसार पुलिस द्वारा अनुचित प्रकार से अभियुक्तों की गिरफ्तारी को रोकने हेतु धारा–41 की उपधारा 1(ए) एवं (बी) को प्रतिस्थापित करते हुए ऐसे अपराध में जिसमें सजा 07 वर्ष या उससे कम हो, अभियुक्तों की गिरफ्तारी तभी की जायेगी, जहॉ–

1– आरोपी द्वारा कोई अन्य अपराध किये जाने की सम्भावना हो,
2– उपयुक्त विवेचना किये जाने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक हो,
3– आरोपी द्वारा साक्ष्य को नष्ट किये जाने से रोके जाने के लिए हो,
4– आरोपी द्वारा धमकी अथवा प्रलोभन, अपराध के तथ्यों की जानकारी रोकने वाले व्यक्तियों को दिये जाने से रोकने के लिए,
5– आरोपी गिरफ्तार न किये जाने पर न्यायालय में निर्दिष्ट तिथियों को विचारण के लिए उपस्थित नहीं होगा।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस0 (पी0आई0एल0) रिट याचिका संख्या 17410/2011 शौकीन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में धारा 41 में हुए संशोधन के संबंध में दिनांक 11–10–2011 को आदेश पारित करते हुए इस धारा के प्रयोग हेतु दृष्टांत देते हुए यह कहा है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों को तभी गिरफ्तार किया जाय जब उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य हो तथा अभियुक्त के विरूद्ध ऐसे अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में भेजने हेतु पर्याप्त आधार हो। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 41 (1) (बी) एवं धारा 41 ए में 07 वर्ष एवं उससे कम सजा वाले अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी ही नहीं की जायेगी, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है:–

"We see that no total embargo has been placed on effecting arrests even in cases punishable upto 7 years imprisonment."

दण्ड प्रकिया संहिता (संशोधन) अधिनियम– 2008 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी अभियुक्त को बिना पर्याप्त साक्ष्य के गिरफ्तार न किया जाय परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उपर्युक्त संशोधन के आलोक में अभियुक्तों की गिरफ्तारी ही पुलिस द्वारा नहीं की जायेगी। अतः धारा 41(1) (बी) एवं धारा 41 ए मा0 न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए 07 साल तक के सजा वाले अपराधों में भी यथा परिस्थिति गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है।

7— अतएव उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल करते समय सामान्यतः बिना भेदभाव किये विवेचनाधिकारी द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता में विहित अन्य सुसंगत व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 170, धारा 41—1(ए),1(बी) व पुलिस रेगुलेशन के पैरा 122 में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का, कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(कमल सक्सेना)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध / कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।
2— अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3— अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4— अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध संगठन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5— समस्त मण्डलायुक्त / पुलिस महानिरीक्षक जोन उत्तर प्रदेश।
6— समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
6— समस्त जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7— गृह(पुलिस) अनुभाग—4 / 9 / 11 / 12 / 14 उत्तर प्रदेश शासन ।
8— अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे / एस0आई0टी0 / को—आपरेटिव सेल / भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उत्तर प्रदेश।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

4.1.2013
(कमल सक्सेना)
सचिव